ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 215-217

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-18, No.- II, Issues-32, YEAR- April-June-2024

घरेलू हिंसा के विशेष संदर्भ में महिलाओं के विरुद्ध मानवाधिकारों का उल्लंघन

1. अभिज्ञान
2. डा0 कंचन प्रभा

1. शोध अध्येता 2. प्रोफेसर–राजनीति विज्ञान विभाग, जे.एस. विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद (उ0प्र0) भारत

Received-11.06.2024, Revised-18.06.2024, Accepted-25.06.2024 E-mail : aaryvart2013@gmail.com

सारांश–मानवाधिकार शब्द उन अधिकारों को संदर्भित करता है जिन्हें नागरिकता, निवास स्थिति, जातीयता, लिंग या अन्य विचारों की परवाह किए बिना मानवता के लिए सार्वभौमिक माना जाता है, मौलिक अधिकार जो मनुष्य को मानव होने के तथ्य से प्राप्त हैं, और जो न तो बनाए गए हैं और न ही बनाए जा सकते हैं किसी भी सरकार द्वारा निरस्त किए जाने को मानव अधिकार के रूप में जाना जाता है, कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों (जैसे कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) द्वारा समर्थित, मानव अधिकारों में सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार शामिल हैं, जैसे कि जीवन का अधिकार , स्वतंत्रता, शिक्षा और कानून के समक्ष समानता, और संघ, विश्वास, स्वतंत्र भाषण, सूचना, धर्म, आंदोलन और राष्ट्रीयता का अधिकार।

एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इन निर्विवाद मौलिक अधिकारों का हकदार है क्योंकि वह अपने जन्म स्थान, लिंग राष्ट्रीयता के बावजूद एक इंसान है। जातीय मूल, रंग, भाषा, धर्म या किसी अन्य स्थिति का राष्ट्रीय। यह अब सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि सभी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कुछ बुनियादी अधिकारों के हकदार हैं। इनमें कुछ नागरिक स्वतंत्रताएं और राजनीतिक अधिकार शामिल हैं, जिनमें से सबसे मौलिक जीवन और शारीरिक सुरक्षा का अधिकार है। मानवाधिकार हमारी सभी गतिविधियों में न्याय, सहिष्णुता, पारस्परिक सम्मान और मानवीय गरिमा की आवश्यकता की अभिव्यक्ति हैं ।

कुंजीभूत शब्द– मानवाधिकार, नागरिकता, न्याय, सहिष्णुता, पारस्परिक सम्मान और मानवीय गरिमा, बुनियादी अधिकार

महिलाओं के विरूद्ध मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रकार–

दहेज हिंसाः घरेलू हिंसा का दूसरा रूप दहेज हिंसा है। दहेज प्रथा जो आज भी हमारे भारत में प्रचलित है

महिलाओं के विरुद्ध अनेक प्रकार की हिंसा का जनक समाज ही है। परिवार में नव प्रवेशित सदस्य दुल्हन को परिवार के लिए पर्याप्त सामान न लाने पर कई प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ सकता है।

ऑनर किलिंगः ऑनर किलिंग दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ पारंपरिक हिंसा का एक बहुत ही सामान्य रूप है जो 21वीं सदी में भी प्रचलित है। भारत में, ऑनर किलिंग देश के उत्तरी क्षेत्रों में होती है, खासकर पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में।

यौन हिंसाः यौन हिंसा यौन आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता के विरुद्ध हिंसा है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी की इच्छा के बिना उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाना चाहता है। यह एक प्रकार की हिंसा है जिसमें मनोवैज्ञानिक और शारीरिक हिंसा भी शामिल है। इसका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं है।

बलात्कारः बलात्कार एक यौन हमला है जिसमें किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाना शामिल है। इसे एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी की सहमति के बिना उसके विरुद्ध शुरू किया जा सकता है। यह कार्य शारीरिक बल, जबरदस्ती, अधिकार का दुरुपयोग या ऐसे व्यक्ति के साथ किया जा सकता है जो वैध सहमति देने में असमर्थ है, जैसे कि बेहोश, अक्षम, या सहमति की कानूनी उम्र से कम।[2]

महिलाओं के खिलाफ हिंसा, जादू टोना का आरोपः डायन–बिसाही के नाम पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा हाल के दिनों में एक ज्वलंत समस्या बनकर उभर रही है। डायन–बिसाही के ज्यादातर मामलों में महिलाएं ही मुख्य निशाना होती हैं। यह महिलाओं के मानवाधिकारों की घोर हिंसा है।

वैवाहिक बलात्कारःवैवाहिक बलात्कार जघन्य अपराध का दूसरा रूप है जिसे वैवाहिक बलात्कार के रूप में भी जाना जाता है। इस हिंसा में गौरव की बात यह है कि मुख्य अपराधी पीड़िता का अपना जीवनसाथी होता है जिसके साथ उसे रहना पड़ता है।

महिला जननांग विकृति (एफजीएम) महिलाओं के खिलाफ हिंसा का दूसरा रूप महिला जननांग विकृति है जिसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई समुदायों में रीति–रिवाजों के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह पहले से ही स्वीकृत है कि महिला जननांग विकृति महिलाओं के शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य, प्रजनन और यौन क्रियाकलाप को प्रभावित करता है।

यौन उत्पीड़नः यौन उत्पीड़न एक प्रकार की यौन हिंसा है जिसमें मनोवैज्ञानिक और मौखिक दुर्व्यवहार भी शामिल है। यौन उत्पीड़न एक यौन प्रकृति का अप्रिय, बिन बुलाए, आक्रामक और अवांछित आचरण है।

आर्थिक हिंसाः इस हिंसा का मुख्य कारण आर्थिक निर्भरता है। अधिकांश परिवारों में देखा जाता है कि आम तौर पर महिलाएँ आर्थिक रूप से परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर होती हैं।

तकनीकी दुरुपयोगः दुरुपयोग के इस रूप में किसी साथी को नियंत्रित करने और शिकार करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। इस प्रकार का दुर्व्यवहार सभी उम्र के लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन यह ज्यादातर किशोरों में देखा जाता है, जो बातचीत करने के लिए प्रौद्योगिकी और सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग इस तरह से करते हैं जिस पर अक्सर वयस्कों की नजर नहीं होती।

कन्या भ्रूण हत्या और शिशुहत्या–इस 21वीं सदी में पारंपरिक मान्यताओं के नाम पर भी महिलाओं की हत्या कर दी जाती है. हमारे समाज में लिंग के आधार पर भेदभाव एक बहुत ही आम बीमारी है। यह हमेशा स्वीकार किया जाता है कि एक ओर तो

अनुरुपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-18, No.- II, Issues-32, YEAR- April-June-2024

लड़कियों को परिवार की प्राथमिक आवश्यकता माना जाता है, लेकिन दूसरी ओर लड़कियों को परिवार का बोझ माना जाता है क्योंकि यह दूसरे की संपत्ति होती है।

घरेलू हिंसाःघरेलू हिंसा निस्संदेह एक मानवाधिकार मुद्दा है और विकास में गंभीर बाधा है। महिलाएं भारतीय आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, लेकिन लैंगिक भेदभाव और पूर्वाग्रह के कारण उन्हें गंभीर नुकसानदेह स्थिति में रखा गया है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं हिंसा और शोषण का शिकार होती रही हैं। हिंसा किसी व्यक्ति के विरुद्ध जानबूझकर या वास्तविक रूप से शारीरिक शक्ति का उपयोग है जिसके परिणामस्वरूप चोट, मृत्यु, मनोवैज्ञानिक क्षति और कुविकास होता है।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005– यदि बुनियादी स्वास्थ्य आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और यदि भारत में घरेलू हिंसा की अनुमति देने वाले सांस्कृतिक पूर्वाग्रह बने रहते हैं तो अधिक महिला एजेंसी के माध्यम से लैंगिक समानता हासिल की जा सकती है। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति (सीईडीएडब्ल्यू) ने अपनी सामान्य सिफारिश (1989) में सिफारिश की थी कि राज्य पार्टियों को महिलाओं को किसी भी प्रकार की हिंसा, खासकर परिवार के भीतर होने वाली हिंसा से बचाने के लिए कार्य करना चाहिए। उक्त अनुशंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारतीय ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा और समाज में ऐसी हिंसा की घटना को रोकने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 नामक एक कानून बनाया, जो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ।[3]

वर्तमान में भारत में घरेलू हिंसा को 2005 के घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, "प्रतिवादी का कोई भी कार्य चूक या कमीशन या आचरण घरेलू हिंसा का गठन करेगा यदि यह (ए) नुकसान पहुंचाता है या पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या कल्याण को चोट पहुँचाता है या खतरे में डालता है, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक या ऐसा करने की प्रवृत्ति रखता है और इसमें शारीरिक शोषण, यौन शोषण, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक शोषण, या (बी) उत्पीड़न शामिल है। , किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए पीड़ित व्यक्ति को या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को मजबूर करने की दृष्टि से नुकसान पहुंचाता है, घायल करता है या खतरे में डालता है; या (सी) खंड (ए) या खंड (बी) में उल्लिखित किसी भी आचरण से पीड़ित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को धमकी देने का प्रभाव पड़ता है; या (डी) अन्यथा पीड़ित व्यक्ति को चोट पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक।[4]

हालाँकि, इस अधिनियम की कुछ हलकों द्वारा इस आधार पर आलोचना की गई है कि भारतीय परिवेश में घरेलू संबंधों में कानून के हस्तक्षेप से परिवारों के बीच संबंधों को नुकसान पहुँचेगा। यह प्यार और स्नेह है न कि कानून जिसे ऐसे रिश्तों और विवादों को नियंत्रित करना चाहिए। कानून का सीधा असर घरेलू जीवन पर पड़ना अशुभ होगा। कुछ लोगों का आरोप है कि यह हमारी पारिवारिक व्यवस्था का पश्चिमीकरण करने का प्रयास है। कानून के डर से नियंत्रित जीवन शायद ही जीने लायक है। उनका मानना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए में शामिल क्रूरता के खिलाफ कानून की तरह घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून का भी दुरुपयोग होने की अत्यधिक संभावना है।

मुद्दे और चुनौतियाँ–हालाँकि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम–2005, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानवाधिकार आयोग किसी भी घरेलू हिंसा से महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए रक्षक हैं, लेकिन हैं महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के कुछ मुद्दे और चुनौतियाँ।

कन्या भ्रूण हत्याः इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार ने सार्वजनिक चिकित्सा संस्थानों के साथ–साथ निजी क्लीनिकों में भी अल्ट्रासाउंड पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन व्यक्तिगत लाभ और भ्रष्टाचार के कारण आए दिन कन्या भ्रूण की बंदरबांट की जाती है। यह घरेलू हिंसा के प्रमुख मुद्दों में से एक है।5

परंपराएँ और मान्यताएँः यह घरेलू हिंसा की प्रमुख चुनौतियों में से एक है क्योंकि भारतीय समाज कई परंपराओं, मान्यताओं, अंध विश्वास और रूढ़ियों पर आधारित है जो महिलाओं और लड़कियों को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं।

निरक्षरता और गरीबीः ऐसा देखा गया है कि अशिक्षा और गरीबी के कारण विशेषकर ग्रामीण इलाकों में महिलाएँ घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। वे अपने अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं और गरीबी के कारण न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ हैं। इसके अलावा वे विभिन्न संवर्द्धन के तहत मिलने वाली सुरक्षा से भी दूर रहते हैं। यह भी एक बड़ी चुनौती है कि परिस्थितियों के कारण गरीब लोग महंगी शिक्षा का बोझ नहीं उठा सकते। परिणामस्वरूप, स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों की सुरक्षा की कमी के कारण वे लड़कियों को शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं और जमीनी स्तर पर शैक्षणिक संस्थानों से अपना प्रवेश वापस ले लेते हैं।[6]

मनोवृत्ति एवं मानसिकता– यह देखा गया है कि महिलाओं और लड़कियों के प्रति लोगों की निम्न मानसिकता और नकारात्मक रवैये के कारण सामाजिक–समता का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकेगा क्योंकि किच और रिश्तेदार के बीच बहुत बड़ा अंतर है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक समय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में भी, आम आदमी की मानसिक स्थिति अभी भी अपरिवर्तित है।

अंधकार का अभाव– स्वभाव के कारण, अधिकांश महिलाएं अपने घरेलू दुर्व्यवहार का खुलासा करने की हिम्मत नहीं करती हैं और यही कारण है कि इस प्रकार की महिलाओं को अपने घर और कार्यस्थल पर इतनी अधिक हिंसा या दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। यदि वे अन्याय या घरेलू हिंसा के खिलाफ खड़े होते हैं, तो उनकी बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की किसी छड़ी की जरूरत नहीं है।

भ्रष्ट आचरण– यद्यपि भ्रष्टाचार सभी स्तरों पर गहरी जड़ें जमा चुका है, लेकिन जहां तक न्यायपालिका का सवाल है, घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों के लंबित मामलों के कारण स्थिति चिंताजनक है। विलंब भ्रष्टाचार, पक्षपात और वकीलों की भारी फीस के कारण एक गरीब न्याय पाने से कोसों दूर है।[7]

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-18, No.- II, Issues-32, YEAR- April-June-2024

जागरूकता की कमी– महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का यह भी एक बड़ा मुद्दा और चुनौती है कि अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता की कमी के कारण उन्हें आए दिन घरेलू हिंसा या दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। अशिक्षा के कारण, वे लाडली सगुन जैसी महिलाओं के लिए वर्तमान में शुरू की गई कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं।[8]

निष्कर्ष– महिलाएं आम तौर पर समाज के कमजोर वर्ग का अभिन्न अंग होती हैं और तदनुसार स्वतंत्रता के बाद उनके बुनियादी मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की सुरक्षा और संवर्धन के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता होती है, जिससे मानवता के आधे हिस्से के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए और अच्छे इरादे वाले विधायी उपाय हैं। न्यायिक दृष्टिकोण काफी अनुकूल है और इसने देश में महिला शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में दृष्टिकोण को एक नई दिशा दी है।

घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये ऐतिहासिक सुविधाएँ प्रदान करने के बावजूद, घरेलू हिंसा का अनुभव करने वाली अधिकांश भारतीय महिलाओं में ऐसे अपराधों के खिलाफ रिपोर्ट करने या मुकदमा चलाने में व्यापक झिझक है। इस अनिच्छा का एक प्रमुख कारण पितृसत्तात्मक संरचना है जो भारत में अधिकांश परिवारों के लिए ढांचा है और यह गलत धारणा है कि घरेलू दुर्व्यवहार को भड़काने के लिए यह लगभग हमेशा महिलाओं की गलती है कि ऐसी घटना होती है। जो भी हो, यह केवल यह देखना बाकी है कि घरेलू हिंसा विरोधी अधिनियम अपने उद्देश्यों में कैसे सफल होता है, लेकिन यह नहीं चाहा जा सकता है कि यह अधिनियम निश्चित रूप से एक हद तक समानता में लिंग को कम करने और महिलाओं के हित को मजबूत करने में मदद करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. केनली, एच, संघर्ष समाधान और मानवाधिकार
2. जेनिफ़र टेमकिन, बलात्कार और कानूनी प्रक्रिया, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2002।
3. अधिनियम में 5 अध्याय में फैले 37 खंड शामिल हैं।
4. भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में भारतीय संसद, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005।
5. बंसल, एच.एन. इन हर डिफेंस, द ट्रिब्यून, चंडीगढ़, शुक्रवार 19 नवंबर, 2010, पृष्ठ 13।
6. दिमन, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा से संबंधित कानून, डीप एंड डीप प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007, पृष्ठ 41–42।
7. भगवान, एम. आर., विकासशील देशों में महिलाओं के लिए नई पहल, मैकमिलन प्रेस, लंदन, 1997, पृष्ठ 11–13।
8. अक्तर, एस, इक्विटी ग्रोथ एंड पार्टिसिपेशनः द इंफॉर्मेशन एज, डेवलपमेंट, जर्नल ऑफ द सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, स्पेशल इश्यूज, नंबर 3, 1993 पीपी. 21–22।

*****